

# UTTAR PRADESH POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा”

प्रेस नोट – 05.04.2021

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना टूण्डला पुलिस टीम द्वारा 1 शातिर लुटेरे अभियुक्त छोटू उर्फ बृजेश को मय अवैध असलाह कारतूस एवं लूट के माल बरामद सहित किया गिरफ्तार । लुटेरे की गिरफ्तारी से 02 लूट की घटनाओं को हुआ खुलासा ।**

- शातिर लुटेरा अभियुक्त छोटू उर्फ बृजेश पुत्र संजय निवासी गढी दरगपुर थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद मय नाजायज तमंचा व 05 कारतूस के गिरफ्तार ।
- शातिर लुटेरा लूट की तीन बारदातों में रहा शामिल ।

मु0अ0सं0 569/20 धारा 392/411 भादवि थाना टूण्डला की घटना में फरार लुटेरा छोटू उर्फ बृजेश पुत्र संजय निवासी गढी दरगपुर थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद को आज दिनांक 05.04.2021 को पुलिस पार्टी द्वारा मुखबिर की सूचना पर हिरनगाँव स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा देशी 12 बोर व 05 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुए पृच्छताछ पर अभियुक्त छोटू उर्फ बृजेश उपरोक्त ने करीब साढे तीन माह पहले पैराडोर होटल के सामने से एक महिला का पर्स अपने साथी जितेन्द्र उर्फ मक्कारी पुत्र भूरी सिंह निवासी गढी दरगपुर थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद के साथ लूटने की घटना का इकबाल किया । तथा इस घटना में लूटी गयी चैन 6000/- रुपये में बेचकर हिस्से में आये रूपयों में से अभियुक्त के कब्जे से इस घटना के 1500 रुपये बरामद हुए हैं । लूटा गया शेष माल पूर्व में जेल गये अभियुक्त जितेन्द्र यादव उर्फ मक्कारी से बरामद हो चुका है

1-अभियुक्त छोटू उर्फ बृजेश उपरोक्त द्वारा अपने सह अपराधी छोटू पुत्र बहादुर निवासी कूपा थाना लाइनपार जिला फिरोजाबाद व बन्टी उर्फ विमलेश पुत्र सज्जन सिंह निवासी बालकराम की ठार गुदाँऊ थाना लाइनपार जिला फिरोजाबाद के साथ मिलकर दिनांक 25.08.2020 को महाराजा अग्रसेन धर्मशाला अलीनगर कैंजरा के सामने से दो मोटर साइकिल पर सवार तीन व्यक्तियों से मोबाइल व 7500/- रुपये लूटने की घटना कारित करने का इकबाल किया गया है । इस घटना में बटवारे में 2000/- रुपये अपने हिस्से में आना बताया जिसमें से 800/- रुपये नगद बरामद हुए हैं । इस घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 393/20 धारा 392 भादवि पंजीकृत है ।

2-अभियुक्त छोटू उर्फ बृजेश उपरोक्त द्वारा अपने सह अपराधी जितेन्द्र उर्फ मक्कारी पुत्र भूरी सिंह निवासी गढी दरगपुर थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद के साथ मिलकर दिनांक 19.01.2020 को सायं के समय NH-2 पर जरौली पुल व उसायनी फ्लाईओवर के बीच एक व्यक्ति से 30,000/- रुपये नगद व एक चैन व एक मोबाइल लूटने की घटना का जुर्म स्वीकार किया है । इस घटना के 14750/- रुपये अभियुक्त छोटू उर्फ बृजेश उपरोक्त की निशा

देही पर बरामद हुए हैं। अपराधी जितेन्द्र उर्फ मक्कारी पूर्व से ही जेल में निरूद्ध है। घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 577/20 धारा 392 भादवि पंजीकृत है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त** – छोटू उर्फ बृजेश पुत्र संजय निवासी गढी दरगपुर थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

**आपराधिक इतिहास – 1- छोटू उर्फ बृजेश पुत्र संजय निवासी गढी दरगपुर थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।**

1. मु0अ0सं0 393/20 धारा 392/411 भादवि थाना टूण्डला
2. मु0अ0सं0 569/20 धारा 392/411 भादवि थाना टूण्डला
3. मु0अ0सं0 577/20 धारा 392/411 भादवि थाना टूण्डला
4. मु0अ0सं0 168/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना टूण्डला

**आपराधिक इतिहास –2- जितेन्द्र उर्फ मक्कारी पुत्र भूरी सिंह निवासी गढी दरगपुर थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद।**

1. मु0अ0सं0 393/20 धारा 392/411 भादवि थाना टूण्डला
2. मु0अ0सं0 03/2021 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411 भादवि0 थाना टूण्डला
3. मु0अ0सं0 04/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना टूण्डला
4. मु0अ0सं0 577/20 धारा 392/411 भादवि थाना टूण्डला

**आपराधिक इतिहास –3- बन्टी उर्फ विमलेश पुत्र सज्जन सिंह निवासी बालक राम की ठार गुँदाऊँ थाना लाइनपार जिला फिरोजाबाद।**

1. मु0अ0सं0 393/20 धारा 392/411 भादवि थाना टूण्डला

**बरामदगी अभियुक्त** – छोटू उर्फ बृजेश पुत्र संजय निवासी गढी दरगपुर थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद से एक अदद देशी तमंचा 12 बोर नाजायज व 05 जिन्दा कारतूस 12 बोर व लूट की घटाओं से सम्बन्धित 17050/- रूपये बरामद हुए।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम –**

2. श्री केशव दत्त शर्मा – प्रभारी निरीक्षक थाना टूण्डला
3. उ0नि0 तेजवीर सिंह – चौकी प्रभारी राजा का ताल थाना टूण्डला
4. आरक्षी 286 अजीत सिंह - थाना टूण्डला
5. आरक्षी 401 लक्ष्मण सिंह - थाना टूण्डला
6. आरक्षी 478 सौरभ त्रिपाठी - थाना टूण्डला